

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-111/2020-21

छोटानागापुर कास्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

तिलेश्वरी देवी बनाम श्री नारायण महतो

28/01/21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

तिलेश्वरी देवी पति-स्व० राधानाथ महतो,
ग्राम-आलना, जामटोला, पो०-रेलाडीह, थाना-बुण्डू,
जिला-राँची, जाति-कुड़मी / कुर्मी, (महतो)
पेशा-गृहणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

श्री नारायण महतो पिता-श्री राज किशोर महतो,
ग्राम-चिरुडीह, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची, जाति-कुड़मी / कुर्मी, (महतो)
पेशा-कृषि।

विक्रेता के द्वारा दिनांक-15/12/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता श्री नारायण महतो पिता-श्री राज किशोर महतो, ग्राम-चिरुडीह, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुड़मी / कुर्मी, (महतो) पेशा-कृषि, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू / 28	572	1538	05 डी० चौहद्दी:- उ०-रास्ता एवं प्रकाश भगत का मकान। द०-मदन भगत का मकान। पू०-समरू गंझु का मकान। प०-निज एवं रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-24 दिनांक-12/01/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत भीम मिया वल्द सुकु मिया के नाम से दर्ज है।
- (2) पंजी-II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पति-पत्नी का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम राधानाथ महतो है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2020-21 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पत्नी है। तथा क्रय-विक्रय के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन मकान सहन किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास पति एवं ससुर दोनो के नाम से मौजा-अलना एवं तारु में पर्याप्त भूमि बचता है।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को घरेलु कार्य हेतु बिक्री कर रही है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो पिछड़ी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के अन्तर्गत निवास करते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता तिलेश्वरी देवी पति-स्व० राधानाथ महतो, ग्राम-आलना, जामटोला, पो०-रेलाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुड़मी/कुर्मी, (महतो) पेशा-गृहणी, को क्रेता श्री नारायण महतो पिता-श्री राज किशोर महतो, ग्राम-चिरुडीह, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुड़मी/कुर्मी, (महतो) पेशा-कृषि, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-15/12/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता तिलेश्वरी देवी पति-स्व० राधानाथ महतो, ग्राम-आलना, जामटोला, पो०-रेलाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुड़मी/कुर्मी, (महतो) पेशा-गृहणी, को क्रेता श्री नारायण महतो पिता-श्री राज किशोर महतो, ग्राम-चिरुडीह, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुड़मी/कुर्मी, (महतो) पेशा-कृषि, के हाथों बिक्री

करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुण्डू	बुण्डू/28	572	1538	05 डी० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-रास्ता एवं प्रकाश भगत का मकान। द०-मदन भगत का मकान। पू०-समरु गंझु का मकान। प०-निज एवं रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।